



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
Accredited A++ by National Assessment and Accreditation Council
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur 208024)
Kalyanpur, Kanpur- 208024



पत्रांक: सीएसजेएमयू/अकादमिक/117/2025

दिनांक: 29/04/2025

सेवा में,
समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2090/ सत्तर-3-2024-09 (01)/2023 (L4) दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के अन्तर्गत स्नातक चार वर्षीय (FYUP) पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2025-26 से लागू किए जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देशों का अवलोकन करते हुए उक्तानुसार सत्र 2025-26 में प्रवेश एवं छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन कार्य सम्पन्न कराने का कष्ट करें।


(अधिष्ठाता अकादमिक)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2025-2026 से लागू करने हेतु सामान्य दिशानिर्देश।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं सभी संबद्ध महाविद्यालयों में आगामी अकादमिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) लागू किया जाएगा।

इस संबंध में निम्नवत् दिशा-निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं सभी संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा किये जाने की अपेक्षा की जाती है—

1. चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) अकादमिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों पर लागू होगा।
 - 1.1 यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम० काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।
 - 1.2 त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर पूर्व में उपलब्ध कराये गये विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) आगे भी लागू रहेंगे।
 - 1.3 चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) हेतु नए पाठ्यक्रम की संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4) दिनांक 02 सितम्बर 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
2. चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) के अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे:
 - (i) 4-Year UG degree (Honours)
 - (ii) 4-Year UG degree (Honours with Research)- for students with 75% marks or higher after 6 semesters of the UG Programme
 - (iii) 4-Year Apprenticeship Embedded UG Degree Programme (AEDP)
 - (iv) 1-year PG programme for students who have completed the 4-Year UG Degree Programme
 - (v) 2-year PG programme for students who have completed the 3-Year UG Programme or the 4-years Apprenticeship Embedded Undergraduate Programme (AEDP)
 - (vi) NEP 2020 के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम (Multiple Entry Multiple Exit) चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) पर निम्नवत् रूप में लागू होंगे:
 - (a) UG Certificate after completion of 1 year and minimum course credits (40 credits)
 - (b) UG Diploma after completion of 2 years and minimum course credits (80 credits)
 - (c) UG Degree after completion of 3 years and minimum course credits (120 credits)

भविष्य में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रावधान आदि संबंधित पाठ्यक्रम पर भी लागू होंगे।

- 2.4 बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी **संलग्नक-1** में दी गई है।
3. विद्यार्थी का प्रवेश प्रथमतः तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
- 3.1 विद्यार्थी को प्रवेश हेतु बी.ए. बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन करने के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। विद्यार्थी की डिग्री चयनित पाठ्यक्रम में प्रदान की जायेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन विद्यार्थी द्वारा तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक किया जा सकता है।

विशेष प्रावधानः—

- मेजर विषयों के चयन के सम्बन्ध में भाषा संकाय के किसी एक मेजर विषय के चयन के साथ कला, मानवीकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के किसी भी विषय को विद्यार्थी द्वितीय मेजर के रूप में चुनाव कर सकता है।
 - ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय में आवंटित विषयों से एक मेजर के चुनाव के साथ विद्यार्थी दूसरे मेजर विषय का चुनाव कला मानवीकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में आवंटित विषयों में से या भाषा संकाय विषयों में से दूसरे मेजर विषय का चुनाव भी कर सकता है।
 - कला मानवीकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में आवंटित विषयों से एक मेजर के चुनाव के साथ विद्यार्थी दूसरे मेजर विषय का चुनाव ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय में आवंटित विषयों में से या भाषा संकाय विषयों में से दूसरे मेजर विषय का चुनाव भी कर सकता है।
- 3.2 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 3.3 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 3.4 यदि कोई विद्यार्थी किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे उपर्युक्त प्रावधान सं0 3.4 के विशेष प्रावधान सं0 1 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

- 3.4.1 विद्यार्थी द्वारा तीन वर्ष में चयनित संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करने पर उक्त संकाय में डिग्री प्रदान की जायेगी। उक्त विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी। जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वाजिट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3.3 दो मेजर विषय के साथ विद्यार्थी को तीसरे विषय का भी चुनाव करना होगा जो उसका माइनर विषय होगा। विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय अथवा मूल संकाय से किया जा सकता है।
- 3.3.1 बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने माइनर विषय का अध्ययन विषम सेमेस्टर में करेंगे एवं बी0एस0सी के विद्यार्थी अपने माइनर पेपर का अध्ययन सम सेमेस्टर में करेंगे
- 3.3.2 सभी गौण (माइनर) विषयों के पेपर कोड पूर्णतः भिन्न होंगे।
- 3.3.3 गौण (माइनर) विषयों की सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी।
- 3.4 चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन किया जायेगा तथा सप्तम व अष्टम में भी चयनित विषय में विद्यार्थी द्वारा अध्ययन करना होगा।
- 3.4.1 तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात् विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।
- 3.4.2 त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात् चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।
4. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3X3= 9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम (Co-Curricular) कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।
 - 5.1 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों कोर्सज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।
 - 5.2 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।
 - 5.3 विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये “सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement) पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी “सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम” का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे। जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।
6. स्नातक स्तर पर चतुर्थ सेमेस्टर में या द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना Research Project/ Internship/ Field Work/ Survey Work करना अनिवार्य होगा।
 - 6.1 स्नातक (मानद शोध सहित) चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना चयनित कर सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर चयनित होंगी।
 - 6.2 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।
7. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
 - 7.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का

प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8. विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की कुल क्रेडिट का 40% SWAYAM, MOOCs तथा यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
9. शासनादेश संख्या—1032/सत्तर-3-2022-08 (35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

Year	Sem.	Major 1 Subject 1 (From Own Faculty)	Major 2 Subject 2 (From Own Faculty)	Minor Subject 3 (From Other Faculty/Own Faculty)	Vocational Courses	Co-Curricular Courses	Research Project/ Dissertation/ Internship /Field or survey work	Total credits	Degree and Credit Required
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6) (for BA and B.Com)	1 (3)	1 (2)		23 (for BA and B.Com) 17 (for BSc)	Certificate in Faculty (40 Credits)
	II	Th-1(6) orTh-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6) (for BSc)	1 (3)	1 (2)		17 (for BA and B.Com) 23 (for BSc)	
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6) (for BA and B.Com)	1 (3)	1 (2)		23 (for BA and B.Com) 17 (for BSc)	Diploma in Faculty (80 Credits)
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6) (for BSc)		1 (2)	1 (3)	17 (for BA and B.Com) 23 (for BSc)	
3	V	Th-2(5) orTh-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					20	3-year UG Degree (120 Credits)
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					20	
Fourth Year									
4	VII	Th-5(4) or Th4(4)+ Pract-1(4)						20	4-ycar UG Degree (Honours) (160 Credits)
	VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						20	

OR (For Students who secure 75% marks in the first 6 semesters)									
4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	20	UG Degree (Honours with Research) (160 Credits)
	VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	20	
OR									
4	VII & VIII	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/institute			1 (40) 1200 hours			40	Apprenticeship /Internship embedded UG degree programme (160 Credits)
5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	20	Master in Faculty (200 Credits)
	X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	20	
6	XI	Th-4(2)	1(4) Research Methodology				1(4)	16	PGDR in Subject (216 Credits)
6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject